सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 223 राँची, गुरुवार, 20 फाल्गुन, 1937 (श०)

10 मार्च, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

8 मार्च, 2016

विषयः- सिनेमा अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में।

संख्या-3/सिनेमा अनु॰/समयसीमा/01/2016-..1297--आधुनिक संचार प्रणालियों, यथा-इंटरनेट, मोबाईल इत्यादि के व्यापक प्रयोग से मनोरंजन के प्रमुख साधन सिनेमा उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। राज्य सरकार द्वारा सिनेमा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में नये सिनेमा हॉल/मल्टिप्लेक्स की स्थापना हेतु नियमानुसार प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

2. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000 के नियम-3 एवं 13(a) तथा 13(b) के अधीन क्रमश: स्थायी एवं अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु उपायुक्त स्तर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय स्तर से अनुमोदन दिये जाने का प्रावधान है ।

3. यह देखा जा रहा है कि आवेदक द्वारा सिनेमा अनुज्ञप्ति के लिए दिये गये आवेदन पर निर्णय लिये जाने में अत्यधिक समय लगता है। इससे सरकार के सिनेमा संबंधी नीति एवं राजस्व दोनों प्रभावित होते हैं। राज्य में सिनेमा उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु यह आवश्यक है

कि अनुज्ञप्ति के नियम को सरलीकृत करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाय ।

2. उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर सिनेमा अनुज्ञप्ति निर्गत या निरस्त करने के लिए निम्नवत् समय सीमा निर्धारित किया जाता है:-

i. जिला स्तर पर - आवेदक द्वारा आवेदन की तिथि से एक माह के अंदर आवश्यक जांचोपरांत सभी निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किये जाने के शर्त्त के साथ संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) को अनुशंसा की जायगी।

अपरिहार्य कारणवश इस अवधि को दो माह तक उपायुक्त द्वारा कारण दर्शाते हुए विस्तारित किया जा सकेगा।

ii. राज्य (विभाग) स्तर पर - उपायुक्त की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000 के नियमों के आलोक में निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किये जाने की स्थिति में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु स्वीकृति अथवा अस्वीकृति संसूचित कर दी जाएगी।

अपरिहार्य कारणवश इस अवधि को एक माह तक विभाग द्वारा कारण दर्शाते हुए विस्तारित किया जा सकेगा।

3. सिनेमा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक द्वारा अधोलिखित ''विहित प्रपत्र'' में संबंधित जिला के उपायुक्त को झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000 के अधीन सभी वांछित प्रमाणपत्र के साथ अनुरोध किया जा सकेगा, ताकि निर्धारित समयावधि में सिनेमा/मल्टिप्लेक्स अनुज्ञप्ति जारी किया जा सके।

Application for Cinema/Multiplex License

Affix Court Fee Stamp of Rs. 100/-

1.	Full Name of Applicant	
2.	Aadhaar No.	
3.	PAN No.	
4.	Residential Address	
5.	Telephone No.	
6.	Name of Establishment (Cinema Hall/ Multiplex)	
7.	Address of Establishment (Cinema Hall/Multiplex)	
8.	Telephone no. of Establishment	

9.	No of seats in Establishment	
10.	Floor wise details of the Cinema Building	
11.	Document enclosed	
11. a	Occupation Certificate	
11. b	Building Plan Approval Certificate	
11. c	Testimonial on proposed Cinema hall/ Multiples from surrounding area	
11. d	Location/Construction of the Theatre	
11. e	NOC from Department of Energy	
11. f	NOC from Department of Fire	
11. g	NOC from Department of Building Construction	
11. h	NOC from Department of Commercial Taxes	
11. i	Structural Stability Certificate issued by Architect	
11. j	Certificate regarding Lightning Conductor	
11. k	Certificate regarding Water Harvesting	
11. l	Name, Age and Address of the Manager, Projector Machine Operator & Electrician	

(Signature of Applicant)

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 223—50 ।